(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No. F3(1)/Fin(Rev-I)/2018-19/DS-VI/ 279 Dated: 22/6/18

Notification No. 14/2018-State Tax

No.F3(1)/Fin(Rev-I)/2017-18/ - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2018.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from 23rd March, 2018.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017,-

(i) in rule 45, in sub-rule (1), after the words, "where such goods are sent directly to a job worker", occurring at the end, the following shall be inserted, namely:-

",and where the goods are sent from one job worker to another job worker, the challan may be issued either by the principal or the job worker sending the goods to another job worker:

Provided that the challan issued by the principal may be endorsed by the job worker, indicating therein the quantity and description of goods where the goods are sent by one job worker to another or are returned to the principal:

Provided further that the challan endorsed by the job worker may be further endorsed by another job worker, indicating therein the quantity and description of goods where the goods are sent by one job worker to another or are returned to the principal.";

(ii) in rule 127, in clause (iv), after the words "to furnish a performance report to the Council by the tenth", the word "day" shall be inserted;

(iii) in rule 129, in sub-rule (6), for the words "as allowed by the Standing Committee", the words "as may be allowed by the Authority" shall be substituted;

(iv) in rule 133, after sub-rule (3), the following sub-rule may be inserted, namely:-

"(4) If the report of the Director General of Safeguards referred to in sub-rule (6) of rule 129 recommends that there is contravention or even non-contravention of the provisions of section 171 or these rules, but the Authority is of the opinion that further investigation or inquiry is called for in the matter, it may, for reasons to be recorded in writing, refer the matter to the Director General of Safeguards to cause further investigation or inquiry in accordance with the provisions of the Act and these rules.";

(v) for rule 134, the following rule shall be substituted, namely:-

"**134. Decision to be taken by the majority.**- (1) A minimum of three members of the Authority shall constitute quorum at its meetings.

(2) If the Members of the Authority differ in their opinion on any point, the point shall be decided according to the opinion of the majority of the members present and voting, and in the event of equality of votes, the Chairman shall have the second or casting vote.";

(vi), after rule 138D, the following *Explanation* shall be inserted, with effect from the 1st of April, 2018, namely:-

"*Explanation.* - For the purposes of this Chapter, the expressions 'transported by railways', 'transportation of goods by railways', 'transport of goods by rail'and 'movement of goods by rail' does not include cases where leasing of parcel space by Railways takes place.".

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(A. K. Singh)
Dy. Secretary VI (Finance)

No. F3(1)/Fin(Rev-I)/2018-19/DS-VI/279 Dated: 29/6/18

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
5. The Commissioner, State Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
10. Guard File.
11. Website

(A. K. Singh)
Dy. Secretary VI (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

वित्त (राजस्व- 1) विभाग

दिल्ली सचिवालय, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली

सं फा 3(1)/वित्त(राजस्व-1)/2018-19/डीएस-VI/279 दिनांक: 22/6/18

अधिसूचना संख्या 14/2018-राज्य कर

सं फा 3(1)/वित्त(राजस्व-1)/2018-19/- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017(2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा विहित है, उसके सिवाय, ये नियम 23 मार्च 2018 से प्रवृत्त हुए माने जाएंगे ।

2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--

(i) नियम 45 के उपनियम (1) में, अंत में आने वाले "जहां ऐसा माल किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को सीधे भेजा जाता है" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"और जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से किसी दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है, वहां चालान, प्रधान या माल को किसी अन्य छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजने वाले छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी किया जा सकेगा :

परंतु प्रधान द्वारा जारी चालान को, उस दशा में, जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है या प्रधान को वापस भेजा जाता है, उसमें माल की मात्रा और विवरण उपदर्शित करते हुए पृष्ठांकित किया जाएगा :

परंतु यह और कि छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा पृष्ठांकित चालान को, जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है या प्रधान को वापस भेजा जाता है, उसमें माल की मात्रा और विवरण उपदर्शित करते हुए पृष्ठांकित किया जाएगा :";

(ii) नियम 127 के खंड (iv) के हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ;

(iii) नियम 129 के उपनियम (6) में, "स्थायी समिति से यथा अनुज्ञात लिखित में दिए गए कारणों द्वारा अन्वेषण पूर्ण करेगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे लिखित में दिए गए कारणों से, जो प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किए जाएं, अन्वेषण पूर्ण करेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) नियम 133 के उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(4) यदि नियम 129 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट रक्षोपाय महानिदेशक की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि धारा 171 के उपबंधों का या इन नियमों का उल्लंघन हुआ है या उल्लंघन न होने की दशा में भी यदि प्राधिकरण की यह राय है कि मामले में और अन्वेषण किया जाना चाहिए या जांच की जानी चाहिए, तो वह मामले को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, रक्षोपाय महानिदेशक को अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार और अन्वेषण या जांच करवाने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा ।";

(v) नियम 134 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"134. विनिश्चय का बहुमत द्वारा किया जाना—(1) प्राधिकरण की बैठकों में गणपूर्ति उसके न्यूनतम तीन सदस्यों से होगी ।

(2) यदि किसी बिंदु पर प्राधिकरण के सदस्यों की राय भिन्न-भिन्न है तो उस बिंदु का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के अनुसार किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा ।";

(vi) नियम 138घ के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2018 से निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण--इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, 'रेल द्वारा परिवहन किया गया', 'माल का रेल द्वारा परिवहन किया जाना', 'माल का रेल द्वारा परिवहन' और 'रेल द्वारा माल का संचलन' पद में ऐसे मामले सम्मिलित नहीं हैं, जहां रेल द्वारा पार्सल स्थान का पट्टाकरण दिया जाता है ।"।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(ए0 के0 सिंह)
उप-सचिव- VI (वित्त)

सं फा 3(1)/वित्त(राजस्व-1)/2018-19/डीएस-VI/ 279 दिनांक: 21/6/18

प्रतिलिपि प्रेषित सूचनार्थः-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आज की तारीख में एक पृथक प्रति के साथ ताकि दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में इसे प्रकाशित किया जा सके।
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ।
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, नेता विपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।
11. वेबसाइट।

(ए0 के0 सिंह)
उप-सचिव-VI (वित्त)